

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)
कमांक 26 अ-82/19-20/कचरबोह/12847 बैतूल दिनांक 3.12.2019
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।

विषय:- ग्राम कचरबोह तहसील आमला के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा कचरबोह तहसील आमला की पस्तलाई (स्टोरेज) लघु जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 3-12-2019

पृ0क0 26 अ-82/2019-20/12847
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार आमला को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 6- सम्बंधित ग्राम पंचायत सोमलापुर तहसील आमला को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार



कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं-अर्जन अधिकारी मुलताई

प्रकरण क्रमांक २६ अ-८२/२०१९-२०, मौजा - कचरबोह

दिनांक ०२/१२/२०१९

प्ररूप "ख"
(नियम - ५ देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- (1) परियोजना विकास का नाम :- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग
- (2) लोक प्रयोजन :- पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना
- (3) स्थल :- कचरबोह
- (4) परियोजना का सिंचित क्षेत्र :- 240 Ha
- (5) विकल्प जिन पर विचार किया गया :- हां
- (6) परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- हां
- (7) परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम चरण
- (8) परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शों :- रकबा 4.824 Ha
- (9) परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि :- रकबा 4.824 Ha
- (10) भूमि का मुल्य :- 723200 /- प्रति हे. (सिंचित)
:- 361600 /- प्रति हे. (असिंचित)
- (11) प्रभावित परिवारों की संख्या अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार :-
- (12) परिसंपत्तियां :-
- | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-----|-------|------|
| लोक संपत्ति :- | भूमि | निरंक | भवन | निरंक | अन्य |
| नीजि संपत्ति :- | भूमि | 4.824 Ha | भवन | निरंक | अन्य |
- (13) विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :-

ग्राम :- कचरबोह

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

जिनके मकान अर्जित हुए :- 0

ग्राम :- कचरबोह

परिवारों की संख्या :- 0

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य	योग
0	0	0	0

(14) सामाजिक समाघात :-

(क) समाघातों का विवरण :- निरंक

(ख) समाघातों की संकेतक सूची :- निरंक

(15) विकल्प जिन पर विचार किया गया :-


(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? :- पसतलई (स्टोरेज) लघु जलाशय योजना


(ख) यदि नहीं - तो क्यों ? :- निरंक


(16) निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसंपत्तियां प्रभावित हो रही हैं उनका विधिनुसार मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्डों के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


डिप्टी कलेक्टर
बैतूल (निमित्त टाह)


श्री. मुरारी अग्रवाल
व्यवसायिक प्रतिष्ठित एवं शिक्षित
व्यक्ति (सदस्य)


उष्वन मंडलाधिकारी
मुलताई (सदस्य)


अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
आमला (सदस्य)